

**न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)**

अपील संख्या:- 12/130/2025

दायर दिनांक:-08.09.2025

रजि० न० 2025/335

**अपीलार्थी:-**

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री राजवीर, जाति अहीर,  
निवासी गण्डाला, तहसील बहरोड़, जिला  
कोटपूतली बहरोड़ (राज०)

**प्रत्यर्थी:-**

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त  
जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर  
(राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**---:: निर्णय ::---**

दिनांक:- 23.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 23.07.2025 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित आवें ।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/1185 दिनांक 17.09.2025 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 23.07.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293595480458896 दिनांक 28.07.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन में वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होने के कारण, RTI Online Portal पत्र सं. 3473086535 दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से मूल आवेदन, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड़, को अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पंजीकृत-पत्र के माध्यम से अग्रेषित की गई है। इस प्रकार माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के द्वितीय अपील प्रकरण सं० RIC/ALWAR/A/2024/001131 निर्णय दिनांक 21.03.2024 एवं प्रकरण सं० अपील नं० RIC/ALWAR/A/2024/001132 निर्णय दिनांक 21.03.2024 बअनुवान मदनसिंह यादव बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर में पारित निर्णय के आलोक में अपीलार्थी के संज्ञान में जानकारी होने के बावजूद भी असंगत लोक प्राधिकारी के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपीलार्थी के सूचना आवेदन के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी पोषणीय नहीं है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ के स्तर से सूचना/जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा ऑनलाईन पत्र सं० 3473086535 दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 023.09.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।



(डा. आर्तिका शुक्ला)  
अपीलीय अधिकारी एवं  
जिला कलक्टर, अलवर